



Neutral Citation No. - 2026:AHC:160902

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 18500/2026

घनश्याम पाण्डेय

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : माहेश्वरी प्रसाद पाण्डेय, सतीश चन्द्र सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है:-

"i- उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दाखिल आवेदन के अनुसरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152 के अन्तर्गत जारी दिनांक 02.01.2026 के नोटिस को निरस्त किया जाए तथा दिनांक 02.01.2026 के उक्त नोटिस के अनुसरण में प्रारंभ की गई कार्यवाही को भी निरस्त किया जाए।

ii- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे उस भूमि पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें, जिस पर खंभा स्थापित है।

iii- कोई अन्य ऐसी रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त समझे।

iii- रिट याचिका का वाद व्यय याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3, रवि शंकर पाण्डेय के कहने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी.एन.एस.एस.) की धारा 152 के अन्तर्गत एक मिथ्या एवं तुच्छ कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि गाटा संख्या 456/1358, 471 एवं 473 पर ग्राम सभा द्वारा निर्मित सार्वजनिक मार्ग (चक रोड) पर याचिकाकर्ता एवं अन्य द्वारा लोहे के खंभे स्थापित करके अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों के स्वतंत्र आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उक्त शिकायत के अनुसरण में थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के उपनिरीक्षक द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान यह रिपोर्ट दी गई कि कथित सार्वजनिक मार्ग पर लोहे के खंभे स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण कार एवं ट्रैक्टर सहित चार पहिया वाहन वहां से गुजरने में असमर्थ हैं, हालांकि दो पहिया वाहन अभी भी उक्त मार्ग से आवागमन कर सकते हैं।

उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही ने याचिकाकर्ता एवं एक पवन कुमार को बी.एन.एस.एस. की धारा 152 के अन्तर्गत प्रारंभिक नोटिस जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने गाटा संख्या 456/1358, क्षेत्रफल 0.007 हेक्टेयर, पर स्थित सार्वजनिक मार्ग पर प्रथमदृष्टया अतिक्रमण किया है, जिस पर इंटरलॉकिंग ईंटों की सड़क निर्मित है। नोटिस में विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित लोहे के खंभों से वाहनों एवं पैदल यात्रियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा उसे कारण बताने के लिए कहा गया।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में याचिकाकर्ता एवं पवन कुमार ने एक विस्तृत उत्तर दाखिल करते हुए विशेष रूप से यह अभिकथित किया कि विवादित भूमि, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित किया गया है, गाटा संख्या 456/1358 का भाग नहीं है, बल्कि गाटा संख्या 468, क्षेत्रफल 0.372 हेक्टेयर, मौजा कलनुआ में स्थित है। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से भूमि की पहचान को जानबूझकर गलत रूप में प्रस्तुत किया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि गाटा संख्या 468 याचिकाकर्ता की अभिलेखित संपत्ति है, जहां लोहे के खंभे केवल उसकी अपनी भूमि की सुरक्षा एवं बाड़बंदी के लिए लगाए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि याचिकाकर्ता ने गाटा संख्या 468, क्षेत्रफल 0.372

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हेक्टेयर, मौजा कलनुआ के संबंध में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), ज्ञानपुर, जनपद भदोही के न्यायालय के समक्ष पहले ही मूल वाद संख्या 194 सन् 2025 संस्थित कर रखा है, जिसमें सक्षम सिविल न्यायालय ने दिनांक 23.07.2025 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है।

अतः विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लोहे के खंभे याचिकाकर्ता की अपनी भूमि, जो गाटा संख्या 468 में सम्मिलित है, के भीतर स्थापित किए गए हैं और गाटा संख्या 456/1358 में स्थित सार्वजनिक मार्ग पर नहीं, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है।

मैंने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

प्रतिवादी संख्या 3 का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता ने गाटा संख्या 456/1358, क्षेत्रफल 0.007 हेक्टेयर, में स्थित सार्वजनिक चक रोड, जिस पर इंटरलॉकिंग ईंटों की सड़क निर्मित है, पर लोहे के खंभे स्थापित करके अतिक्रमण कर लिया है, जिससे वाहनों एवं आम जनता के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का लगातार यह पक्ष रहा है कि लोहे के खंभे उसकी अपनी भूमि, जो गाटा संख्या 468, क्षेत्रफल 0.372 हेक्टेयर, मौजा कलनुआ में सम्मिलित है, के भीतर स्थापित किए गए हैं, जिसके संबंध में मूल वाद संख्या 194 सन् 2025 सिविल जज (सीनियर डिवीजन), ज्ञानपुर, जनपद भदोही के न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह भी विवादित नहीं है कि दिनांक 23.07.2025 के आदेश द्वारा सिविल न्यायालय ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है।

अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 152 के अन्तर्गत कार्यवाही अभी भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, जिसमें पक्षकारों द्वारा अभी अपना-अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना शेष है। पक्षकारों के बीच मुख्य विवाद विवादित भूमि की पहचान एवं स्थिति से संबंधित है, अर्थात् क्या लोहे के खंभे गाटा संख्या 456/1358 में सम्मिलित सार्वजनिक मार्ग पर स्थापित किए गए हैं अथवा याचिकाकर्ता की भूमि, जो गाटा संख्या 468 में सम्मिलित है, के भीतर स्थापित किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस न्यायालय की सुविचारित राय में, उपर्युक्त विवाद का प्रभावी रूप से समाधान सक्षम सर्वेक्षण आयोग/राजस्व प्राधिकारी द्वारा विवादित स्थल की उचित सीमांकन एवं सर्वेक्षण के बिना नहीं किया जा सकता है। ऐसे सीमांकन के पश्चात ही विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति एवं पहचान का निर्णायक रूप से निर्धारण किया जा सकता है।

तदनुसार, पक्षकारों के परस्पर दावों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपजिलाधिकारी, ज्ञानपुर, जनपद भदोही को निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम सर्वेक्षण आयोग/राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से विवादित भूमि का सीमांकन कराएं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कथित अतिक्रमण गाटा संख्या 456/1358, जो सार्वजनिक मार्ग है, के अन्तर्गत आता है अथवा याचिकाकर्ता की भूमि, जो गाटा संख्या 468 में सम्मिलित है, क्षेत्रफल 0.372 हेक्टेयर, मौजा कलनुआ में स्थित है, के अन्तर्गत आता है। सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, उपजिलाधिकारी बी.एन.एस.एस. की धारा 152 के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्णय विधि के अनुसार कड़ाई से करेंगे, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की आगामी अवधि के भीतर।

उपर्युक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ, वर्तमान रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

3 अगस्त, 2026

हिमांशु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।